### 1 🤌 आपराधिक प्रकरण कमांक 1302/2015

### न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 1302/2015 संस्थापित दिनांक 18/12/2015

THE PARENTS

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

..... अभियोजन

बनाम

 गोपी मोची पुत्र कल्लू उम्र ४६ वर्ष निवासी– वार्ड कृ० १ गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

<u>.....</u> अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा— 294, 324, 506 भाग—2 भा०द०सं०) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्रीमती हेमलता आर्य ) (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री आर०पी०एस० गुर्जर )

### <u>::— नि र्ण य —::</u> (<u>आज दिनांक 02.06.2018 को घोषित किया)</u>

आरोपी पर दिनांक 20.11.2015 को दिन के करीबन 10:00 बजे नया बस स्टेण्ड मो रोड़ गोहद में सार्वजिनक स्थल पर फरियादी मेहदी हसन को मां—बहन की अश्लील गालियाँ देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित करने, फरियादी मेहदी हसन को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय फरियादी मेहदी हसन की धारदार आयुध कैंची से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित करने हेतु आरोपी पर भा0दं०सं० की धारा 294, 506 भाग—2 एवं 324 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20.11.2015 को सुबह करीबन 10 बजे फरियादी मेंहदी हसन नया बस स्टेण्ड मौ रोड़ गोहद पर सवारी के इंतजार में गोपी मौची की दुकान के पास खड़ा था तथा एक रिक्शा वाला एक सवारी लेकर आया था और उसने खराब रोड़ होने से सवारी उतार दी थी तो उसने उस रिक्शे वाले से कहा था कि सवारी क्यों उतार दी, इसी बात पर फरियादी एवं उस रिक्शे वाले की कहा सुनी हो रही थी तभी आरोपी गोपी ने फरियादी से कहा था कि कल तूने भी सवारी उतारी थी, तू क्यों नही बिटाल कर ले गया था इसी बात पर फरियादी मेंहदी हसन की आरोपी गोपी से कहा सुनी होने लगी थी, आरोपी उसे मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगा था, जब उसने आरोपी को गाली देने से मना किया था तो आरोपी ने अपनी दुकान से कैंची उटाकर उसके पेट में मार दी थी जिससे उसके चोट होकर खून निकल आया था, मौके पर करूआ कोरी, हमीद खाँ एवं बकील जाटव तथा कमल हसन खड़े थे जिन्होंने घटना देखी थी एवं उसे बचाया था। आरोपी गोपी ने

उसके एक चांटा मारा था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क0 385/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए है :--
  - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 20.11.2015 को दिन के करीबन 10:00 बजे नये बस स्टेण्ड मौ रोड़ गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी मेहदी हसन को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
  - 2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी मेहदी हसन को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
  - क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी मेंहदी हसन की धारदार आयुध कैंची से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी मेंहदी हसन अ०सा० 1, हमीद खाँ अ०सा० 2, बकील अ०सा० 3, कमल हसन अ०सा० 4, डाँ० विजय कुमार अ०सा० 5 एवं राजू अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3

- 7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी मेहदी हसन अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया गया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग चार पांच महीने पुरानी है। वह रिक्शा बस स्टेण्ड पर खड़ा था उसने दूसरे रिक्शे वाले से कहा था कि तू मेरी बहुत सवारी काटता है उसने अपने दोस्त का चमार कहा था आरोपी गोपी ने उससे कहा था कि तू चमार क्यों कह रहा है और उसके कैंची घुसेड़ दी थी फिर वह थाने रिपोर्ट करने गया था उसके साथ हमीद, बकील और करू भी थे, उक्त रिपोर्ट प्र0पी० 1 है। प्रतिपरीक्षण के पद क्0 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि मौके पर करू और हमीद भी थे, वह भी रिक्शा चलाते हैं। उसने गोपी व उसके साथी से जाति सूचक बातें कहीं थी। उसके गोपी व बकील के अलासा मौके पर और भी लोग थे। पद क्0 5 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसके पेट में चोट पहुंचाई थी।
- o. साक्षी हमीद खॉ अ०सा० 2, बकील अ०सा० 3 एवं राजू अ०सा० 6 द्वारा न्यायालय के

## 🔀 🕙 आपराधिक प्रकरण कमांक 1302/2015

समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी नहीं होना बताया गया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त सभी साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी ने मेंहदी हसन की मारपीट की थी।

- 10. साक्षी कमल हसन अ०सा० 4 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो ढाई साल पहले की है वह अपनी दुकान पर बैठा था उसी समय उसने देखा था कि मेंहदी हसन और गोपी के बीच रिक्शा हटाने के पीछे लड़ाई हो रही है। लड़ाई में गोपी गाली गलीच कर रहा था जब गोपी को ज्यादा गुस्सा आया था तो उसने कैंची उठाकर दो बार मेहदी हसन के पेट में मार दी थी। तीसरी बार उसने उसका हाथ पकड़ लिया था और उन दोनों को अलग कर दिया था। प्रतिपरीक्षण के पद क० 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि आरोपी और मेहदी हसन का कोई मुंहबाद नहीं हुआ था एवं यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने मेहदी हसन को जान से मारने की धमकी नही दी थी। पद क० 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह झगड़े में बीच बचाब करने नहीं गया था।
- 11. डॉ० विजय कुमार अ०सा० 5 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसने दिनांक 20.11. 2015 को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में आरक्षक संजय पाण्डेय द्वारा लाये जाने पर आहत मेहदी हसन का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने मेंहदी हसन के पेट में दो कटे हुए घाव पाये थे। उसके मतानुसार उक्त चोटे धारदार हथियार द्वारा पहुचाई गई थी जो साधारण प्रकृति की थी एवं उसके परीक्षण अवधि के पूर्व छः घंटे के अंदर की थी उसने आहत को सर्जिकल विशेषज्ञ के अभिमत के लिए जिला चिकित्सालय भिण्ड रैफर किया था उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्र०पी० 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। फरियादी के कथन भी अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभाषी रहे है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 13. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी मेंहदी हसन अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह दिन रिक्शा बस स्टेण्ड पर खड़ा था तथा उसने दूसरे रिक्शे वाले से कहा था कि तू मेरी सवारी बहुत काटता है उसने अपने दोस्त को चमार कहा था तो आरोपी गोपी ने उससे कहा था कि तू चमार क्यों कह रहा है परन्तु उक्त तथ्यों का उल्लेखन प्र0पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। फरियादी मेहदी हसन अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन उसने दूसरे रिक्शे वाले से कहा था कि तू मेरी सवारी बहुत काटता है परन्तु यह बात फरियादी मेहदी हसन द्वारा अपनी रिपोर्ट प्र0पी० 1 में नहीं बताई गई है, फरियादी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने अपने दोस्त को चमार कहा था परन्तु इस तथ्य का उल्लेख भी प्र0पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। फरियादी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह भी बताया गया है कि आरोपी ने उससे कहा था कि तू चमार क्यों कह रहा है और उसके केंची घुसेड़ दी थी परन्तु इस तथ्य का उल्लेख कि आरोपी ने उससे कहा था कि वह चमार क्यों कह रहा है और उसके केंची घुसेड़ दी थी परन्तु इस सूचना रिपोर्ट में नहीं है इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी मेहदी हसन अ०सा० 1 के कथन प्र0पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभाषी रहे है उक्त तथ्य अत्यंत तात्विक है जो सम्पूर्ण अभियोजन घटना को ही संदेहास्पद बना देते हैं।

- 14. फरियादी मेहदी हसन अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में बताया है कि उसने अपने दोस्त को चमार कहा था इस बात पर आरोपी गोपी ने उसके कैंची घुसेड़ दी थी परन्तु इस तथ्य का उल्लेख प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नही है। प्र०ीप० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह वर्णित नहीं है कि चमार कहने के कारण आरोपी ने फरियादी के कैंची घुसेड़ दी थी। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी मेहदी हसन अ०सा० 1 के कथन प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभाषी रहे है। प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित अनुसार आरोपी ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी थी तथा उसे चांटा भी मारा था तथा जान से मारने की धमकी भी दी थी परन्तु यह बात फरियादी मेहदी हसन अ०सा० 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में नहीं बताई गई है। फरियादी मेहदी हसन अ०सा० 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथनों के दौरान एक नई कहानी बताई गई है जो कि सम्पूर्ण अभियोजन घटना को ही संदेहास्पद बना देती हैं।
- 15. फरियादी मेंहदी हसन अ०सा० 1 द्वारा यह भी बताया गया है कि मौके पर हमीद, करू और बकील भी थी परन्तु हमीद अ०सा० 2 बकील अ०सा० 3 एवं राजू अ०सा० 6 द्वारा उक्त बिन्दु पर फरियादी मेहदी हसन अ०सा० 1 के कथन का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है इस प्रकार साक्षी हमीद अ०सा० 2, बकील अ०सा० 3 एवं राजू अ०सा० 6 द्वारा भी फरियादी के कथनों का समर्थन नहीं किया गया है यह तथ्य भी अभियोजन घटना का संदेहास्पद बना देता है।
- जहां तक कमल हसन अ०सा० ४ के कथन का प्रश्न है तो कमल हसन अ०सा० ४ ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना वाले दिन उसने देखा था कि मेंहदी हसन और गोपी के बीच रिक्शा हटाने के पीछे लड़ाई हो रही थी एवं गोपी गाली गलौच कर रहा था परन्तु यह बात स्वयं फरियादी मेंहदी हसन अ0सा0 1 द्वारा नही बताई गई है। कमल हसन अ0सा0 4 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि जब गोपी को ज्यादा गुस्सा आ गया था तो उसने अपनी कैंची दो बार मेंहदी हसन के पेट में मार दी थी तथा तीसरी बार उसने गोपी का हाथ पकड़ लिया था और उन दोनों को अलग कर दिया था परन्त् यह बात फरियादी मेंहदी हसन अ०सा० 1 द्वारा नहीं बताई गई है। साक्षी कमल हसन अ०सा० 4 द्वारा यह बताया गया है कि मेंहदी हसन और गोपी के मध्य रिक्शा हटाने के पीछे लड़ाई हुई थी तथा गोपी ने दो बार मेंहदी हसन के पेट में कैंची मारी थी एवं तीसरी बार उसने गोपी का हाथ पकड लिया था और दोनों को अलग कर दिया था परन्तु यह बात स्वयं मेंहदी हसन अ0सा0 1 द्वारा नहीं बताई गई है। मेंहदी हसन अ0सा0 1 का ऐसा कहना नही है कि गोपी ने उसके दो बार कैंची मारी थी और तीसरी बार कमल हसन ने गोपी का हाथ पकड़ लिया था, इस प्रकार उक्त बिन्दू पर साक्षी कमल हसने अ०सा० ४ के कथन फरियादी मेंहदी हसन अ०सा० 1 के कथन से विरोधाभाषी रहे है, ऐसी स्थिति में कमल हसन अ०सा० ४ के कथन भी विश्वास योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त कमल हसन अ०सा० ४ ने अपने मुख्य परीक्षण में यह तो बताया है कि मेहदी हसन और गोपी के मध्य रिक्शा हटाने के पीछे लड़ाई हुई थी तथा गोपी ने गाली गलौच की थी और उसने उन दोनों को अलग–अलग किया था परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपी और मेंहदी हसन के बीच कोई मुंहबाद नहीं हुआ था एवं यह भी व्यक्त किया है कि वह झगड़े का बीच बचाव करने नहीं गया था। इस प्रकार कमल हसन अ0सा0 4 के कथनों से यह भी दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान भी अत्यंत विरोधाभाषी रहे है जो साक्षी कमल हसन अ०सा० ४ के कथनों को अविश्वसनीय बना देते हैं।

# <u> 5</u> <u>आपराधिक प्रकरण कमांक 1302/2015</u>

- 17. उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी मेंहदी हसन अ०सा० 1 एवं साक्षी कमल हसन अ०सा० 4 के कथन तात्विक बिन्दुओं पर अत्यंत विरोधाभाषी रहे हैं। फरियादी मेंहदी हसन अ०सा० 1 के कथन तात्विक बिन्दुओं पर प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी विरोधाभाषी रहे हैं, फरियादी मेंहदी हसन अ०सा० 1 के कथन न्यायालय के समक्ष अपने कथनों में प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में विपरीत एक नई कहानी बताई गई है। फरियादी मेंहदी हसन अ०सा० 1 के कथन का समर्थन साक्षी हमीद खाँ अ०सा० 2, बकील अ०सा० 3 एवं राजू अ०सा० 6 द्वारा भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में फरियादी की एकल असम्पुष्ट साक्ष्य के आधार पर अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं प्रकरण में आई साक्ष्य से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादी मेंहदी हसन को मां बहन की अश्लील गालियां दी थी, उसे जान से मारने की धमकी दी थी एवं फरियादी मेंहदी हसन की धारदार आयुध कैंची से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 18. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो, वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन संदेह से परे मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।
- 19. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने 20.11.2015 को दिन के करीबन 10:00 बजे नया बस स्टेण्ड मौ रोड़ गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी मेहदी हसन को मां—बहन की अश्लील गालियाँ देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया, फरियादी मेहदी हसन को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं उसी समय फरियादी मेहदी हसन की धारदार आयुध कैंची से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी गोपी मोची को संदेह का लाभ देते हुए उसे भाठदं०सं० की धारा 294, 506 भाग—2 एवं 324 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- 20. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।
- 21. प्रकरण में जप्तशुदा कैंची एवं कपड़े अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद दिनांक – 02/06/2018 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0) सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0) ATTENDED TO SERVICE OF THE PARTY OF THE PART

SILVE SUNTA